

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

आप.प्रकरण क्रमांक 234 / 12
संस्थित दिनांक 21.03.12
फा.नंबर-234503000942012

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस चौकी सोनेवानी थाना रूपझर
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

भदुसिंह पिता मंगलसिंह मरावी, उम्र-35 वर्ष, जाति गोण्ड,
निवासी ग्राम कोहका थाना बैहर जिला बालाघाट।

.....आरोपी

::निर्णय::

दिनांक 05 / 04 / 2018 को घोषित

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि उसने दिनांक 22.01.2012 को समय 4:00 बजे दिन में स्थान उदघाटी दरगाह के पास थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोकमार्ग है पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.32.बी. 9853 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत प्रकाश की मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.ए.8472 को टक्कर मारकर आहत प्रकाश को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रकाश चौहान अपनी पत्नि को संविदा वर्ग-3 की परीक्षा दिलाकर दिनांक 22.01.2012 को मोटर सायकिल से उकवा से कटंगी जा रहा था, तभी उदघाटी दरगाह की मोड़ पर शाम करीब 4:00 बजे पीछे ट्रक क्रमांक एम.एच.32बी.9853 के चालक भदुसिंह द्वारा तेज गति लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर ठोस मार दिया, जिससे फरियादी के बांये हाथ, बांये पैर व बांये तरफ शरीर में चोटें आई, जिसके बाद ईलाज हेतु बालाघाट अस्पताल में भर्ती कराये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184

मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं गवाहों के कथन लिये गये। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर छोड़ा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 22/12 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत की है।

04— प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 22.01.2012 को समय 4:00 बजे दिन में स्थान उदघाटी दरगाह के पास थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोकमार्ग है, पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.32.बी.9853 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत प्रकाश की मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.ए.8472 को टक्कर मारकर आहत प्रकाश की अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

:: सकारण व निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

नोट:—साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी प्रकाश चौहान अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी भदूसिंह को नहीं पहचानता है। घटना दो-तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह और उसकी पत्नि मोटर सायकिल से उकवा

से वापस कटंगी जा रहे थे, तभी उनकी मोटर सायकिल बंजारी के पास पहुँची, तो पीछे से आकर ट्रक जिसमें लकड़ी भरी हुई थी, के चालक ने लापरवाही से चलाकर ट्रक से मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था, जिससे वह लोग मोटर सायकिल सहित गिर गये थे और गिरने से उसके बांये पैर, बांये कंधे व हाथ पर चोटें आई थी। उसने ट्रक के चालक को नहीं देखा था, क्योंकि दुर्घटना पश्चात वह बेहोश हो गया था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट एवं उसके पश्चात नागपुर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। उसका बांया पैर खराब हो गया है। उसे चलने में भी तकलीफ होती है। उक्त दुर्घटना ट्रक के चालक की गलती से हुई थी।

06— साक्षी प्रकाश चौहान अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना का दिन व दिनांक उसे ध्यान नहीं है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसकी मोटर सायकिल असंतुलित होकर गिर गई थी, उनकी गाड़ी रोड पर गड़बड़े होने के कारण असंतुलित होकर गिर गई थी, उसने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए अज्ञात वाहन चालक एवं ट्रक क्रमांक एम.एच.32बी.9853 के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई थी।

07— साक्षी आशा चौहान अ.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी भद्रसिंह को नहीं पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पुरानी है। वह और उसके पति प्रकाश चौहान के साथ मोटर सायकिल में बैठकर उकवा से कटंगी जा रहे थे। जैसे ही उनकी मोटर सायकिल बंजारी के पास में अपने साईड में थी, तभी पीछे से ट्रक ने उनकी साईड में आकर मोटर सायकिल को टक्कर मारी और टक्कर लगने से वह लोग मोटर सायकिल सहित गिर गये थे। उक्त दुर्घटना में उसके पति के बांये पैर एवं बांये हाथ पर चोट तथा उसे दाहिने पैर एवं दाहिने हाथ में चोट आई थी। उसने ट्रक का नंबर देखकर नोट कर ली थी।

08— साक्षी आशा चौहान अ.सा.02 के अनुसार पुलिस को उसने अपने

कथन में ट्रक का नंबर बता दी थी। उसे ट्रक के चालक का नाम नहीं पता, क्योंकि घटनास्थल पर काफी लोग देखकर जाते थे। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी। उसने अपना ईलाज प्राईवेट अस्पताल में करवाई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में भी हुआ था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्र.पी.01 बनाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09— साक्षी आशा चौहान अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम.एच.32बी.9853 का चालक भद्रसिंह के द्वारा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर ठोस मार दिया था, उक्त बात उसने अपने पुलिस कथन में पुलिस को बताई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह मोटर सायकिल को बंजारी के पास तेज गति से चलाकर ला रहे थे, जिससे असंतुलित होकर गिर गये थे, उन लोगों को स्वयं गिर जाने से चोटें आई थी, वह ट्रक का नंबर नहीं बता सकती, क्योंकि उसे याद नहीं है, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि ट्रक का नंबर उसने पुलिस को नहीं बताया था, बाद में पता चला तो उसने पुलिस वालों को बताई थी, उसने पुलिस को कथन देते समय घटनास्थल पर खड़े व्यक्तियों के नाम नहीं बताई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती। साक्षी के अनुसार ट्रक वाले की गलती से हुई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन में आरोपी का नाम नहीं बताई थी।

10— साक्षी आशा चौहान अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने नजरी-नक्शा बनाते समय बंजारी के पास होना बता दी थी, घटनास्थल के पास आम का पेड़ होने वाली बात भी बता दी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने नजरी-नक्शा बनाते समय उससे पूछताछ नहीं किये थे। पुलिस ने उसे घटना

के संबंध में पूछताछ की और पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई थी और उसने घटनास्थल बता दी थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से नहीं हुई थी तथा दुर्घटना उनकी लापरवाही से हुई थी।

11— साक्षी संतोष कुमार अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। आहत प्रकाश को जानता है। घटना वर्ष 2012 की है। घटना दिनांक को वह अपनी मोटर सायकिल से डोरा से वापस देवथाना अपने घर जा रहा था। आहत प्रकाश चौहान भी मोटर सायकिल से अपने कटंगी जा रहा था, जैसे ही वह लोग लौगूर घाटी पहुँचे थे, तो प्रकाश की मोटर सायकिल जो उसके आगे जा रही थी, को पीछे से ट्रक ने ठोस मार दिया था। आहत प्रकाश मोटर सायकिल से अपने साईड से जा रहा था। ठोस लगने से प्रकाश व उसकी पत्नि मोटर सायकिल से गिर गये थे और प्रकाश का पैर ट्रक टायर के नीचे आ गया था। ट्रक घटनास्थल पर पांच मिनट रुका उसके बाद ट्रक चला गया। उसने ट्रक के चालक को नहीं देखा था। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई थी।

12— साक्षी संतोष कुमार अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रकाश चौहान को इसलिये जानता है, क्योंकि वह उसके साथ आया है, उसकी मोटर सायकिल और आहत की मोटर सायकिल की दूरी डेढ़ सौ मीटर की थी। साक्षी के अनुसार 50 मीटर की दूरी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन लोगों की मोटर सायकिल भी अपने साईड से जा रही थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि सबसे आगे उसकी गाड़ी चल रही थी, आहत प्रकाश की मोटर सायकिल मोड़ में गड़्हा होने से गिर गई थी।

13— साक्षी संतोष कुमार अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी मोटर सायकिल 20 की गति से थी

और आहत की भी उसी गति से चल रही थी, उन सभी की गाड़ियाँ सीमित गति से चल रही थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से नहीं हुई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था तथा पुलिस को अपने बयान में ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मारने वाली बात नहीं बताया था।

14— साक्षी प्रताप अ.सा.05 ने कथन किया है कि उसके द्वारा वाहन क्रमांक एम.एच.32बी.9853 का परीक्षण नहीं किया गया था, किन्तु प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन परीक्षण रिपोर्ट हस्ताक्षर करते समय लिखा हुआ था और उसे बताया गया था कि वाहन परीक्षण रिपोर्ट है इस पर हस्ताक्षर कर दो। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज में क्या लिखा था उसने पढ़कर नहीं देखा था और ना ही उसे पढ़कर बताया गया था तथा उसे हस्ताक्षर करने बोले तो उसने हस्ताक्षर कर दिया था।

15— साक्षी डॉ० नितेन्द्र रावतकर अ.सा.06 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 22.01.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा चौकी जिला चिकित्सालय बालाघाट को एक तहरीर भेजी गई थी, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहत प्रकाश पिता फूलचंद, उम्र-22 साल, जाति पवार, निवासी अर्जुननाला कटंगी का मुलाहिजा आरक्षक अनिल क्रमांक 710 के द्वारा मुलाहिजा हेतु लाया गया था। मुलाहिजा करने पर सड़क दुर्घटना की शिकायत की जा रही थी व निम्न चोटें होना पाया था। चोट क्रमांक-01 एक कुचला घाव 26 गुणा 4 इंच जो हड्डी एवं मांसपेशी तक गहरा था, जो बांये पैर पर जांघ से लेकर नीचे एंकल ज्वाइंट तक था। चोट क्रमांक-02 बहुत सारी खरोंच जो पैर के बाहर की तरफ थी। चोट क्रमांक 03-बहुत सारी खरोंच जो बांये हाथ, कोहनी एवं हाथ

के उपर थी तथा चोट क्रमांक-04 एक कुचला घाव दो गुणा एक इंच जो मांसपेशी तक गहरा था, जो बांये पैर के एंकल ज्वाइंट के उपर था।

16— साक्षी डॉ० नितेन्द्र रावतकर अ.सा.06 के अनुसार उक्त चोटें मुलाहिजा करने के 12 घंटे के भीतर की है, जो बोथरे व खुरदुरे वस्तु से आ सकती है। उसके द्वारा आहत को भर्ती किया गया था एवं सर्जरी स्पेशलिस्ट एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ईलाज, उपचार एवं ओपिनियन के लिये भेजा गया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आहत को भर्ती किया गया था, जिसकी बाह्य रोगी पर्ची प्र.पी.08 एवं भर्ती पर्ची प्र.पी.09 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि चोट सामान्य प्रकार की थी। साक्षी के अनुसार कोई ओपिनियन नहीं दिया गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि चोटें मुलाहिजा के 12 घंटे के भीतर की थी, किन्तु साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आ सकती है।

17— बचाव साक्षी रामलाल सैयाम ब.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी भद्दूसिंह को जानता है, लेकिन आहतगण को नहीं जानता है। घटना उसके कथन देने की तिथि से 05 वर्ष पूर्व दिन रविवार समय करीब 04:00 बजे की है। वह एवं वाहन का ड्रायवर खारा-कोकमा से ट्रक में लट्ठा भरकर बालाघाट गरी डिपो जा रहे थे। उद्घाटी दरगाह के पास टर्निंग व उतार में उन लोगों के वाहन के आगे-आगे एक मोटर सायकिल वाहन जा रहा था। मोटर सायकिल वाहन का चालक रोड से नीचे कच्ची रोड पर उतार रहा था, रोड खराब थी, गढ़वे हो चुके थे, जिसमें अनियंत्रित होकर गिर गया था, जिससे उसको चोट आयी थी। रोड खराब होने के कारण ड्रायवर वाहन को धीरे चला रहा था। मोटर सायकिल सवार अनबैलेंस होकर गिरने पर उन लोग थोड़ी देर रुके जब वहाँ पर भीड़ होने लगी तो वह चले गये। बाद में पता चला कि वह जिस वाहन में जा रहा था, उस वाहन के ड्रायवर के नाम से

रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

18— बचाव साक्षी रामलाल सैयाम ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह ग्राम केवलारी का रहने वाला है तथा आरोपी भद्दूसिंह कोहका का रहने वाला है। ग्राम केवलारी से कोहका 06-07 कि.मी. है। साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह न्यायालय में बयान देने के लिये आरोपी भद्दूसिंह के कहने पर आया है। वह आरोपी भद्दूसिंह के साथ घटना के करीब 05 साल पहले से ट्रक पर हमाली का काम करते आ रहा है। उसे नहीं पता पिछली दिवाली किस दिनांक एवं दिन को थी। वह नहीं बता सकता कि अभी संक्रांति किस दिन को थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि ट्रक चालक की गलती से उक्त दुर्घटना घटित हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह ट्रक का नंबर नहीं बता सकता। उसे दुर्घटनाग्रस्त मोटर सायकिल का नंबर नहीं पता। उसने देखा था कि दुर्घटना में आहत को माथे पर एवं दाहिने कोहनी पर चोटें आयी थी।

19— बचाव साक्षी रामलाल सैयाम ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह दुर्घटना दिनांक को आरोपी भद्दूसिंह के साथ ट्रक पर नहीं जा रहा था, रविवार के दिन डिपो बंद रहता है। पक्की रोड के बीच में गढ़वा था, जहाँ पर वह गिरा था। साक्षी के अनुसार वह आदमी साईड में गिरा था। मोटर सायकिल पर तीन आदमी थे तथा उसे गाड़ी का रंग नहीं मालूम। जहाँ पर घटना हुई थी उसके आस-पास घाट है। वह आज भी आरोपी भद्दूसिंह के साथ हमाली का काम करता है। ड्रायवर ने उसे घटना के 4-5 रोज के बाद यह बताया कि अपने उपर घटना का आरोप लग गया है। उसने पुलिस को जाकर नहीं बताया था कि उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से नहीं हुई है, बल्कि मोटर सायकिल वाले की गलती से हुई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है, किन्तु यह अस्वीकार किया

है कि दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह चाहता है कि आरोपी भद्रसिंह को न्यायालय इस प्रकरण में बरी कर दे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह भद्रसिंह के साथ ट्रक पर काम करता है, इसलिये वह उसे बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

20— साक्षी रतन बनवाले अ.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 22.01.2012 को चौकी सोनेवानी थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी बालाघाट से रोजनामचा सान्हा क्रमांक 260 अस्पताली मेमो प्राप्त होने पर अस्पताली मेमो जांच कर धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मो.व्ही. एक्ट के अपराध पाये जाने पर शून्य पर कायम कर असल नंबरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 15.02.2012 को आहत/फरियादी आशा चौहान की निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.03.2012 को आरोपी भद्रसिंह से एक ट्रक जिसका नंबर एम.एच.32बी.9853 मय दस्तावेज आरोपी के कब्जे से गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21— साक्षी रतन बनवाले अ.सा.03 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी भद्रसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी/आहत प्रकाश चौहान, साक्षी आशा चौहान, संतोष, रविन्द्र एवं विजय के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आहत के एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर फ्रेक्चर होना लेख होने से प्रकरण में धारा-338 भा.द.वि. बढ़ाई गई। प्रकरण की डायरी चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

22— साक्षी रतन बनवाले अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि अस्पताल मेमो प्राप्त होने पर उसने प्र.पी.02 पंजीबद्ध नहीं किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 उसने साक्षी आशाबाई के बताये अनुसार बनाया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.01 साक्षी के बिना बताये उसने बनाया था, उसने जप्ती के पहले ही वाहन को थाने में खड़ा कर लिया था, उसने उक्त वाहन को बगैर दस्तावेज के जप्त कर लिया था, प्र.पी.04 आरोपी की गिरफ्तारी के पूर्व गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, आरोपी को उसने साक्षियों की अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया था, साक्षी आशा चौहान, संतोष, रविन्द्र, विजय के बयान उसने घटना दिनांक के दूसरे दिन लेख किया था तथा धारा-338 भा.द.वि. अपने मन से दर्ज किया था। साक्षी के अनुसार एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया था।

23— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा चालित ट्रक से हुई दुर्घटना में परिवादी/आहत प्रकाश को चोट कारित हुई थी, क्योंकि परिवादी/आहत प्रकाश अ.सा.01 द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त संबंध में कथन किये गये हैं, जिसकी पुष्टि साक्षी आशाबाई अ.सा.02 तथा संतोष कुमार अ.सा.04 के कथनों से होती है। उक्त साक्षीगण के कथनों के परिप्रेक्ष्य में बचाव साक्षी रामलाल ब.सा.01 के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, क्योंकि अभियुक्त को मिथ्या संलिप्त किये जाने के संबंध में बचाव पक्ष के तर्कों के समर्थन में कोई उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन साक्षीगण ने अखण्डनीय साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा आहत की मोटर सायकिल को टक्कर मारने के कथन किये हैं, जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। फलतः यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे वाहन से कारित प्रश्नगत दुर्घटना में आहत प्रकाश को उपहति कारित हुई थी।

24— अब प्रश्न अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षा का है। प्रकरण के लगभग सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों तथा स्वयं रामलाल ब.सा.01 ने ट्रक वाहन को अभियुक्त द्वारा घटना के समय चलाने के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं। मौका-नक्शा प्र.पी.01 से घटनास्थल लोकमार्ग होने की पुष्टि होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 से भी साक्षीगण के कथनों की पुष्टि होती है।

25— मुख्य मार्ग पर अभियुक्त द्वारा जिस प्रकार अपनी दिशा में चल रहे आहत को पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कर उपहति कारित की गई, उससे अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण आचरण का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत प्रकाश को उपहति कारित की, क्योंकि चिकित्सा साक्षी डॉ० नितेन्द्र रावतकर अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने चोटों के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया था। फलतः अभियुक्त भद्दुसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध से दोषमुक्त कर धारा-279, 337 भा.द.वि. के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

26— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त भद्दुसिंह द्वारा कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं, जिस हेतु पृथक-पृथक दंड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

27— अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त भदुसिंह को धारा-337 भा.द.सं. में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक कारावास एवं 500 /—(पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

28— अभियुक्त भदुसिंह को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के आहत प्रकाश को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-357(3) के तहत 5,000 /—(पांच हजार) रुपये प्रतिकर अदा करे। उक्त प्रतिकर की राशि अपील अवधि पश्चात् परिवादी / आहत प्रकाश को अदा की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

29— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

30— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

31— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.32.बी.9853 मय दस्तावेज के वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात् वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

32— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)